| | |
|---|---|
| **कार्यसूची सं.** | **1** |
| **बैठक का दिनांक** | **10.11.2017** |
| **बैठक सं.** | **61** |

**दिनांक 21 अगस्त , 2017 को आयोजित 60 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

- दिनांक **21 अगस्त , 2017** को आयोजित 60 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |.
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं. | **2** |
| बैठक का दिनांक | **10.11.2017** |
| बैठक सं. | **61** |

## पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

### राज्य सरकार से संबंधित मामले

| क्र.स. | से लंबित | विषय | झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **3.1.1** | **22.03.2002** | **<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन</u>** (Updation) **<u>और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन ( एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम )</u>**<br><br>**राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,**<br>1. **किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके\|**<br>2. **राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE, शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।** | **(क) भू-अभिलेखों का डिजिटाईजेशन** - राज्य सरकार के पत्रांक 5277 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण का कार्य सभी 264 अंचलों मे पूर्ण हो चुका है और इनमे से 262 अंचलों मे online mutation के साथ ही राजस्व एवं निबंधन कार्यालयों के बीच integration स्थापित कर दिया गया है \|<br><br>**(ख) सी.एन.टी एवं एस.पी.टी अधिनियम में संशोधन**- राज्य सरकार के पत्रांक 5277 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग को भूमि बंधक के बदले शिक्षा ऋण, गृह ऋण एवं व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का मंतव्य/सहमति प्राप्त हो चुका है \| उक्त मंतव्य के आलोक में कार्यवाही करने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग से पत्राचार किया गया है \| |
| **3.1.2.** | **29.09.2010** | **राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना \|** | राज्य सरकार के पत्रांक 5277 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा से विधिवत पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजे गए विधेयक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुधार का निदेश दिया गया है | उक्त निदेश के अलोक में बिहार और ओडिशा लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा -3 (3) में प्रस्तावित संशोधन झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित कर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हेतु राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची के माध्यम से पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है | अब तक सहमति प्रतिक्षाधीन है | |
| **3.1.3.** | **19.02.2002** | **राज्य में बैंक के खजाने (Currency Chest) की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था** | पूर्व में हुई बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा मामलों के मद्देनज़र जिलों में बैंकों एवं police अधिकारियों को नियमित अन्तराल पर मीटिंग का आयोजन कर currency chest की संवेदनशीलता के आधार पर regular police force दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए | तदनुसार सभी संबंधित बैंको से कार्यवाही अपेक्षित है | यदि इस पर किसी भी तरह की कठिनाई हो तो संबंधित बैंको द्वारा SLBC अथवा LDM की सहायता से इसे सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिए | |
| **3.1.4.** | **09.05.2013** | **नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।** | पिछली SLBC की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी दी गई थी कि यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचारधीन है और इसमे जल्द ही प्रगति अपेक्षित है | नवीनतम सूचना अप्राप्त | |
| **3.1.5.** | **11.05.2016** | **गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों को Green Kisan Credit Card योजना के तहत पेड़ों पर उपलब्ध कराये जा रहे सरल micro credit स्कीम का झारखण्ड राज्य में संचालन** | इस विषय पर 11.05.2017 को विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता मे नाबार्ड, RBI एवं SLBC की बैठक हुई थी जिसमे 2 बातें विशेष रूप से सामने आयी | प्रथम, झारखण्ड में कई जमीनो का records of right वर्तमान मालिकों के पूर्वजो के नाम पर है और ownership को establish किये बिना इस प्रकार के ऋण देने मे बैंको को समस्या होगी | दूसरा, ऋण देने एवं ऋण के भुगतान तक जो जोखिम होगा उस जोखिम के लिए पेड़ों का बीमा किये जाने की आवश्यकता पड़ेगी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | जिसके लिए बीमा कंपनी को भी साथ लेते हुए आगे अन्य बैठकें कर विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है \| दूसरी बैठक का आयोजन अब तक नहीं किया जा सका है \| |
| **3.1.6.** | **11.05.2016** | **SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक: 03.05.2016 की बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक कृषि-ऋण के लिए जाने वाले mortgage/ COLLATERAL सिक्यूरिटी के बदले राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तावित है \|** | 58 वीं SLBC की बैठक में बताया गया था कि इस मामले मे और अध्ययन की जरूरत है तथा इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में किये जा रहे प्रावधानों पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिसके बिना अभी कोई ठोस चर्चा संभव नहीं हैं। अतः इस मुद्दे को अगले कुछ दिनों के लिए छोड़ देना ही उचित होगा \|<br>नवीनतम जानकारी अप्राप्त \| |
| **3.1.7.** | **09.02.2017** | **वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में** | पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों मे नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर सरकार की ओर से इसे राज्य मे जल्द लागू कराये जाने का आश्वासन दिया गया था \| नवीनतम सूचना अप्राप्त \| |

**बैंक से संबधित मामले** Issues Pertaining To Banks

| **क्रं.स.** | **से लंबित** | **मामले** | **बर्तमान स्थिति** |
|---|---|---|---|
| **3.1.8** | **2013** | **राज्य में कुल 24 RSETI एवं एक RUDSETI (सिल्ली) का संचालन किया जा रहा है\| सरकार द्वारा सभी जगहों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है \| State Director, RSETI द्वारा प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार केवल रामगढ को छोडकर बाकि सभी जगहों पर भवन निर्माण का कार्य या तो प्रारंभ कर दिया गया है, या प्रगति पर है या पूर्ण कर लिया गया है \|** | 1. 03 जगहों, बोकारो एवं कोडरमा (BOI), एवं देवघर (SBI) में RSETI का संचालन नये भवन में किया जा रहा है \|<br>2. 07 स्थानों, धनबाद, पुरबी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं चतरा (BOI) और सराइकेला (PNB) में civil construction का काम पूर्ण हो चूका है, परंतू कुछ कार्य जैसे sanitary fitting, electrical fitting, boundary wall इत्यादि के निर्माण कार्य का काम चल रहा है, जिसे संबंधित बैंको द्वारा जल्द से जल्द पूरा कर लिए जाने की संभावना है \| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. 02 स्थानों गढ़वा एवं लातेहार (SBI) में boundary wall का निर्माण कर दिया गया है, परंतू बिल्डिंग के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है \|<br>4. अन्य 12 स्थानों दुमका, गोड्डा एवं हजारीबाग (Allahabad Bank), गिरिडीह , गुमला, लोहरदगा (BOI), RUDSETI सिल्ली (Canara Bank) और जामतारा, पाकुर, पलामू, रांची , साहिबगंज (SBI) में निर्माण कार्य प्रगति पर है \|<br>5. केवल रामगढ (PNB) में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है \| PNB ने सरकार द्वारा दी गई जमीन को वापस कर नयी जमीन की मांग की है \| |
| **3.1.9** | **मई 2015** | **RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना \|** | इस वित्तीय वर्ष में 30.09.2017 तक RSETI द्वारा बैंकों को भेजे गए कुल 2168 ऋण आवेदनों में 664 एवं पिछले वर्ष के pending 4350 आवेदनों में 366 अर्थात कुल 1030 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और अभी भी बैंकों के पास इस वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष में भेजे गए कुल 5385 आवेदन pending पड़े है \| पिछले कई SLBC की बैठकों के दौरान सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से लगातार आग्रह किये जाने के बावजूद आवेदनों का pending रखा जाना एक गंभीर विषय है \| सभी नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे अपने बैंक की शाखाओं में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे की कार्यवाही करें \| |
| | | | |

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं. | **3** |
| बैठक दिनांक | **10.11.2017** |
| बैठक सं. | **61** |

## सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक ( KEY INDICATORS)

(Rs in crores)

| Sl. No | KEY INDICATORS | 30.09.2016 | 31.03.2017 | 30.09.2017 | Bench Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Deposit** | 168852.39 | 186177.79 | 189992.80 | |
| 2 | **Credit** | 77152.36 | 81039.94 | 81599.81 | |
| 3 | **Credit as per place of utilization* & RIDF**** | 26120.12 | 26141.95 | 30084.34 | |
| 4 | **Total Credit** | 103272.48 | 107181.89 | 111684.15 | |
| 5 | **CD Ratio (%)** | 61.16% | 57.57% | 58.78% | 60 |
| 6 | **Priority Sector Advances (PSA)** | 42316.26 | 43650.55 | 42282.95 | |
| 7 | **Share of PSA to Total Advances (%)** | 54.84% | 53.86% | 51.82% | 40 |
| 8 | **Agricultural Advances** | 13164.08 | 13704.11 | 12860.28 | |
| 9 | **Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)** | 17.06% | 16.91% | 15.76% | 18 |
| 10 | **i.Micro & Small Enterprises Advance** | 19170.47 | 19753.78 | 19582.90 | |
| | **ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)** | 24.84% | 24.37% | 24.00**%** | |
| | **iii. Share of Micro Enterprises in MSE** | 55.40% | 55.69% | 58.18**%** | |
| 11 | **Advances to Weaker Sections** | 14916.92 | 15268.40 | 14308.20 | |
| 12 | **Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)** | 19.33% | 18.84% | 17.53% | 10 |
| 13 | **DRI Advances** | 48.40 | 51.15 | 36.72 | |
| 14 | **Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)** | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 1 |
| 15 | **Advances to Women** | 12707.59 | 11706.69 | 10309.18 | |
| 16 | **Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)** | 16.47**%** | 14.45% | 12.63% | 5 |
| 17 | **Advances to Minorities (Amount)** | 5600.30 | 5679.66 | 5454.27 | |
| 18 | **Share of Advances to Minorities under PSA (%)** | 13.23% | 13.01% | 12.90% | 15 |
| 19 | **Gross N.P.A** | 4532.51 | 4523.09 | 4929.06 | |
| | **Provision** | | 1797.99 | 2291.40 | |
| | **Net NPA** | | 2725.10 | 2637.66 | |
| | **Gross NPA Percentage** | 5.87% | 5.58**%** | 6.04**%** | |
| | **Net NPA Percentage** | | 3.36% | 3.23**%** | |
| 20 | **Branch Net-Work (in no.)-Rural**<br>**Semi-Urban**<br>**Urban**<br>**Total** | 1493<br>759<br>701<br>2953 | 1513<br>778<br>704<br>2995 | 1497<br>780<br>726<br>3003 | |
| 21 | **ATM installed in Jharkhand** | 3054 | 3469 | 3507 | |

*Annexure- V,

As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

# पर्यवेक्षण

## जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 30 सितम्बर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक रूपये 21140.41 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 12.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है |

## ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 4447.45 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 5.76 प्रतिशत दर्ज की गई है |

## क्रेडिट - जमा अनुपात ( C.D Ratio)

पिछली तीन तिमाहियों में CD ratio में लगातार दर्ज की गई गिरावट के बाद इस तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात 57.04 % से बढ़ कर, 58.78 % हो गया है | यद्यपि बैंको का प्रयास सराहनीय है परंतू सितम्बर 2016 में 61.16% की CD ratio की तुलना में यह अभी भी कम है एवं राष्ट्रीय मानक 60% से ऊपर की उपलब्धि हेतु सभी बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है |

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30 सितम्बर 2017 को रू. 33.31 करोड़ की गिरावट दर्ज की गयी है। यद्यपि वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 51.82 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

## कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

30 सितम्बर 2017 को कृषि अग्रिम रू. 12860.28 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 15.76 प्रतिशत है। पिछले वर्ष में कृषि ऋण कुल अग्रिम का 17.06 % था | पिछले एक साल में समग्र कृषि ऋण में भी रू. 303.80 करोड़ की कमी हुई है |

## कमजोर वर्ग (Weaker Section)

30 सितम्बर 2017 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14308.20 करोड़ (17.53 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

## महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

30 सितम्बर 2017 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रू. 10309.18 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 12.63 % है | यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है |

## अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5454.27 करोड़ है । यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 12.90% है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

## 30 सितम्बर 2017 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

**भारतीय रिजर्व बैंक के** MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, **दिनांक** 01.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

**तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है** :-

**(Rs in crore)**

| DETAILS | | 30th September, 2016 | 30th September, 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Aggregate Deposits | | 168852.39 | 189992.80 | |
| CORE ADVANCES | 77152.38 | | 81599.81 | |
| As per place of Utilization | 21985.03 | | 25162.78 | |
| RIDF | 4135.09 | | 4921.56 | |
| NET ADVANCES | 103272.48 | | 111684.15 | |
| ऋण-जमा अनुपात | | 61.16 | | 58.78 |

**(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)**

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

| | |
|---|---|
| **कार्यसूची सं.** | **4** |
| **बैठक का दिनांक** | **10.11.2017** |
| **बैठक संख्या** | **61** |

## 4.1 वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 30 जून 2017 तक

**समग्र स्थिति**

**30 सितम्बर 2017** की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

**(रू करोड़ में)**

| SECTOR | ANNUAL TARGET (2016-17) | ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17 | | ANNUAL TARGET (2017-18) | ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMT | AMT. | % | AMT. | AMT | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Agriculture | **7356.42** | 3032.59 | **41.22** | **7682.37** | 2046.31 | **26.64** |
| MSME | **6526.97** | 7420.13 | **113.68** | **7329.51** | 5548.74 | **75.70** |
| OPS | **3361.72** | 1929.23 | **57.38** | **3821.41** | 1172.57 | **30.68** |
| Total Priority | **17245.11** | 12381.95 | **71.80** | **18833.29** | 8767.62 | **46.55** |
| Non Priority | **10361.68** | 9525.43 | **91.92** | **8582.15** | 4251.42 | **49.54** |
| **Total** | **27606.79** | 21907.38 | **79.35** | **27415.45** | 13019.03 | **47.48** |

**टिप्पणियां :**

- वार्षिक ऋण योजना 2017-18 में, वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की तुलना में पहली तिमाही में समग्र ऋण के संवितरण में लगभग 1% की कमी हुई है । उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि बाकी बचे 6 माह में इस वर्ष शत-प्रतिशत target प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाये |
- कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत प्रथम तिमाही में 2046.31 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुआ है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष के इस अवधि के दौरान किये गए संवितरण से रु. 278.01 करोड़ अधिक है | कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का सविंतरण मियादी ऋण के रूप में

सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन , मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढाया जा सके |

- कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंको द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-10 (a) एवं 10 (b) में दर्शाया गया है | 2017-18 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-VI में दर्शाया गया है |

| | |
|---|---|
| **कार्यसूची सं.** | **5** |
| **बैठक का दिनांक** | **10.11.2017** |
| **बैठक संख्या** | **61** |

## 5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

### 5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 12860.28 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.76 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुन: बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए |

**झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)**

(Amt. In Crores)

| Type Of Banks | बैंको की श्रेणी | Disbursement During 2017-18 | | Outstanding In KCC Accounts AS OF 30.09.17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A/C | Amt. | A/C | Amt. |
| PSB | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 159590 | 589.78 | 1237528 | 4741.12 |
| Pvt. Banks | निजी बैंक | 9537 | 53.22 | 17099 | 115.37 |
| **Total** | **कुल** | **169127** | **643.00** | **1254627** | **4856.49** |
| RRB | आर आर बी | 83439 | 269.41 | 364664 | 1294.48 |
| Co-op Banks | कॉपरेटिव बैंक | 495 | 1.42 | 19100 | 23.93 |
| **Total** | **कुल** | **253061** | **913.83** | **1638391** | **6174.90** |

**( KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है )**

- सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 30.09.2017 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1341049 eligible KCC खातों में से 1164253 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1133875 खातों में (97.39%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।

  (विवरण पृष्ठ सं-11 (a) एवं 11 (b) में संलग्न है )

## "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"

**माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है |**

**झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है एवं झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए नोडल बीमा कंपनी के रूप में IFFCO-TOKIO General insurance Co Ltd एवं The Oriental insurance Co Ltd को अनुबंधित किया गया है |**

**बैंकों द्वारा SLBC को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ फसल के लिए इस योजना के तहत स्वीकृत एवं नवीनीकृत कुल लगभग 1.15 लाख ऋणी किसानो में से लगभग 1.13 लाख किसानों का फसल बीमा किया गया है |**

**बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए report के आधार पर बैंकवार एवं जिलावार स्थिति संलग्नक (पृष्ठ संख्या-12 a एवं 12 b) में दर्शायी गई है |**

## 5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

**5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)** **(Accounts in thousands) (Amt. in crore)**

| Sl. No. | Particular | | Outstanding position as at the end of | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sept. 2016 | Sept. 2017 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) |
| **MICRO & SMALL ENTERPRISES** | | | | |
| **1** | **Micro Enterprises** | **Accounts** | **388** | **1832** |
| | | **Amount** | **10620.15** | **11394.39** |
| **2** | **Small Enterprises** | **Accounts** | **91** | **45** |
| | | **Amount** | **8550.33** | **8188.51** |
| **3** | **Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)** | **Accounts** | **479** | **1877** |
| | | **Amount** | **19170.48** | **19582.90** |
| **MEDIUM ENTERPRISES** | | | | |
| **4.** | **Total of Medium Enterprises** | **Accounts** | **31** | **6** |
| | | **Amount** | **1941.22** | **1419.47** |
| **MSME** | | | | |
| **TOTAL MSME ( PRIORITY SECTOR ADVANCES)** | | **Accounts** | **510** | **1884** |
| | | **Amount** | **21111.70** | **21002.38** |
| **5.** a. | Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector | Percent share of amounts **(stipulation: 60%)** | **55.40%** | **55.69%** |
| b. | Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC | Percent share of amount | **24.84%** | **23.99%** |

**(MSME रिपोर्ट -annexure-9)**

**COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE)**

**(Position as on 30.06.2017)**

**(A/C in 000, Amt.in Cr.)**

| Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore | | Coverage under CGTMSE | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | TOTAL | |
| A/C | Amt | A/C | Amt. |
| 472 | 12787.77 | 114 | 4510.32 |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 13 (a) में सलंग्न है)

**टिप्पणियां**

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध सितम्बर, 2017 मे 55.69 %है।
- बैंको द्वारा प्रदत जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य मे, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 4.72 लाख (लगभग) MSE ऋण खातें हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमे से केवल 1.14 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 24.15 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |
- कमोबेश सभी बैंकों का CGTMSE कवरेज प्रतिशत काफी कम है परंतू खास कर कुछ निजी बैंकों का CGTMSE कवरेज का प्रतिशत बिलकुल नगण्य है | अतः इन बैंकों एवं अन्य सभी दूसरे बैंकों से यह आग्रह है कि वे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE कवरेज लेने का प्रयास करें | Prevailing guidelines के अनुसार भी CC एकाउंट्स में Review के समय CGTMSE कवरेज लिया जा सकता है |

## 5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities - e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | इसके अलावे Ministry of Textiles, GoI के निर्देशानुसार handloom weavers एवं artisans को दिये जाने वाले ऋण भी PMMY योजना के तहत आयेंगे |

ध्यातव्य है कि crop loan, land improvement such as canals, irrigation, wells आदि को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है |

पूर्व में इस योजना के अंतर्गत सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में दिये गए ऋण का guarantee cover, CGTMSE scheme के अंतर्गत किया जा रहा था परंतू वर्तमान व्यवस्था के अनुसार PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि ( 01.04.17 से 30.09.17 तक)**

**(राशि करोड़ में)**

| | शिशु | | किशोर | | तरुण | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO | AMT | NO | AMT. | NO | AMT. | NO | AMT. |
| Sanctioned | 106509 | 343.35 | 30003 | 626.46 | 4876 | 386.11 | 141388 | 1355.93 |
| Disbursed | 106080 | 333.39 | 30035 | 577.27 | 4902 | 354.87 | 141017 | 1265.54 |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-15 (a) एवं 15 (b) में सलंग्न है)

## 5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 30 सितम्बर, 2017 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

| Total Beneficiararies | Women Beneficiaries | SC/ST Beneficiaries | Loan Disbursed Amt (Rs in Cr) |
|---|---|---|---|
| **91** | **78** | **14** | **12.99** |

- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार Stand Up India योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFSIL- Credit Guarantee Fund Scheme for Stand Up India Loans) सुनिश्चित किया गया है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-15 (c) में सलंग्न है)

## 5.3. शिक्षा ऋण Education loan

**शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन**

**(Amt. in crore)**

| Particulars | As on 30.09.16 | As on 30.09.17 | | | | Total As on 30.09.17 | GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN | DISBURSEMENT MADE DURING AFY 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Public Sector Bank | Private Sector Bank | RRB | Coop. Bank | | | |
| No. of Accounts | 62881 | 61464 | 451 | 869 | 3 | 62787 | 199.45 | 7610 |
| Amount (In crore) | 2380.02 | 2542.07 | 13.75 | 23.50 | 0.15 | 2579.47 | | 307.82 |

(Report-annexure-10 A)

- उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 8.38 % के दर से वृद्धि हुई है | SLBC पिछले कुछ तिमाहिओं से शिक्षा ऋण में वृद्धि हेतु प्रयासरत है | यध्यपि AFY 2017-18 की पहली छमाही में कुल 7610 छात्रों को रु. 307.82 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है, पर इसमें और ज्यादा गति प्रदान करने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की शाखा स्तर पर ज्यादा शिक्षा-ऋण संवितरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दें |

- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा 54 वीं SLBC बैठक के दौरान उपर्युक्त विषय पर एवं विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा-ऋण नही दिये जाने पर चिंता व्यक्त किया गया था | इसके proper monitoring के लिए SLBC द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर इच्छुक ST/SC विद्यार्थी द्वारा अपने preference के अनुसार बैंक का नाम देते हुए आवेदन करने की सुविधा दी गई है ताकि उन आवेदनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध रहे कि बैंको में प्रेषित कितने आवेदन या तो स्वीकृत किये गए या reject किये गए या स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं | बैंको द्वारा इस पोर्टल के समुचित प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है |

- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नही है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

| | स्वीकृत | | वितरित | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि (रु करोड़ में ) | संख्या | राशि (रु करोड़ में ) |
| कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2017-18) | | | 7610 | 307.82 |
| रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण | 3000 | 164.38 | 2961 | 68.24 |
| अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण | 627 | 29.02 | 620 | 14.92 |

(रिपोर्ट- annexure -10 B से 10 F)

## 5.4- आवास ऋण

**Performance of Banks under Housing loan Scheme**

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

| Particulars | Up to 30.09.16 | 30.09.2017 | | | | Total Up to 30.09.17 | GROWTH Y-O-Y IN HOUS. LOAN | Disbursements made in AFY 17-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Public Sector Banks | Private Sector Banks | RRB | Coop. Banks | | | |
| खाता की सं. | 70362 | 63714 | 5192 | 601 | 45 | 69552 | 1130.11 | 7127 |
| राशि (रु करोड़ में) | 5750.63 | 6275.13 | 567.21 | 35.30 | 3.10 | 6880.74 | | 1117.16 |

**(रिपोर्ट -annexure-11)**

## 5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

### 5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

**30 सितम्बर, 2017 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है**

**(रु .करोड़ में)**

| 30 सितम्बर, 2016 | | % Share | 30 सितम्बर, 2017 | | % Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Total P.S.A | Loans to Minority Community | | Total P.S.A | Loans to Minority Community | |
| 42316.26 | 5600.30 | 13.23% | 42282.95 | 5454.27 | 12.90% |

**(रिपोर्ट -annexure-13)**

### 5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

**30 सितम्बर, 2017 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है**

(रु .करोड़ में)

| 30 September, 2016 | | PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN | 30 September, 2017 | | PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Credit | Of which to Women | | Gross Credit | Of which to Women | |
| 77152.36 | 12707.59 | 16.47% | 81599.81 | 10309.18 | 12.63% |

**(रिपोर्ट -annexure-13)**

## 5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

**30 सितम्बर, 2017 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:**

**(रू. करोड़ में)**

| 30 September, 2016 | | DRI Percentage in Net Credit | 30 September, 2017 | | DRI Percentage in Net Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Credit | DRI | | Net Credit | DRI | |
| 77152.36 | 48.40 | 0.06 | 81599.81 | 36.72 | 0.05 |

**(रिपोर्ट -annexure-12)**

## 5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

**30 सितम्बर, 2017 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :**

**(रू करोड़ में.)**

| 30 सितम्बर, 2016 | | Percentage In Net Credit | 30 सितम्बर, 2017 | | Percentage In Net Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Credit | Loans to SC/ST | | Net Credit | Loans to SC/ST | |
| 77152.36 | 13411.02 | 17.38% | 81599.81 | 12560.85 | 15.39% |

**(रिपोर्ट -annexure-13)**

## 5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

30 सितम्बर 2017 तक झारखण्ड राज्य में सभी बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 22701 SHGs के S/B खाते खोले गए हैं , एवं कुल 16972 खातों का credit linkage किया गया है, जिनमे लगभग रू 151 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है | बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 142539 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 88443 खातो का credit linkage है, जिसमे कुल रु 654.73 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रू 442.30 करोड़ है |

**(रिपोर्ट- Annexure-15)**

**NABARD से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर, 2017 तक झारखंड राज्य के NABARD द्वारा promoted/संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है:**

| | |
|---|---|
| No. of Districts | 18 |
| No. of Blocks | 210 |
| No. of NGOs | 127 |
| No. of WSHGs promoted | 47512 |
| No. of WSHGs saving linked | 42946 |
| No. of WSHGs credit linked | 16251 |

## 5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

### एन आर एल एम की उपलब्धि (30 सितम्बर , 2017 तक )

Source-JSLPS

| संकेतक Indicators | Status as on March'17 | Addition during AFY-17-18 | Cumulative status as on date since Inception |
|---|---|---|---|
| No of Blocks | 125 | 31 | 156 |
| No of Villages | 7038 | 2977 | 10015 |
| Total No of SHGs supported by SRLM | 80789 | 22662 | 103451 |
| Total families supported by SRLM | 979644 | 312309 | 1291953 |
| No of SHG receiving R.F | 37299 | 6438 | 43747 |
| Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs) | 5566 | 994 | 6560 |
| No of SHG receiving CIF | 27349 | 1581 | 28930 |
| Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs) | 15706 | 791 | 16497 |
| No. of SHG credit linked with Banks | 20321 | 15108 | 35429 |
| Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs) | 10165 | 13608 | 23773 |

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम छमाही में बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 16942 SHGs को credit लिंक किया गया है, जिसमे JSLPS के द्वारा promoted SHGs की संख्या 15108 है |

  **(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-19 (a) एवं 19 (b) में दिया गया है |)**

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं. | **6** |
| बैठक की तिथि | **10.11.2017** |
| बैठक की संख्या | **61** |

***वित्तीय समावेशन एवं***
***प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)***

**झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति**

A. **BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति**

| SSA की कुल संख्या | BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location ) | बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage | uncovered | No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs | No of Pin Pads enabled & allotted to BCs |
|---|---|---|---|---|---|
| **4178** | **3663** | **515** | **Nil** | **3578** | **5127** |

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -20(a) & 20(b)}

B **Online transaction करने वाले BC की स्थिति**

| बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या | Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या | 50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या | 50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या | 100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **5753** | **5350** | **2665** | **1586** | **1099** |

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -20(c)}

C. **PMJDY के तहत 30.09.2017 तक खोले गए BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खातों की स्थिति**

| 30.09.2017 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या | | | PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या | आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या | मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या | बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या | बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | शहरी | कुल | | | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **8109934** | **2834694** | **10944624** | **8123305** | **9625917** | **6651593** | **6701719** | **5409922** |

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -20(d) & 20(e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है )

यद्यपि पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल **8123305** रुपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपे कार्ड में से केवल **6701719** कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल **5409922** खातों में रुपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरुरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

**राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-21 (a) में दर्शाया गया है |**

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :**

**दिनांक: 30.06.2017 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-**

| PMJJBY | | PMSBY | | APY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Enrolment | Premium Received (Rs. in Lacs) | Total Enrolments | Premium Received (Rs. in Lacs) | Total Enrolments | Premium Received (Rs. in Lacs) |
| 502148 | 1657.09 | 2124953 | 254.99 | 102332 | 80565.32 |

**(रिपोर्ट पृष्ठ सं-21 (b) सलंग्न है)**

## वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गावों में बैंकिंग शाखा खोलने संबन्धित रोडमैप

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था |

31.03.2017 तक राज्य में 5000 के ऊपर के 137 ऐसे गाँव जहाँ बैंकिंग शाखा अनुपलब्ध थी उन सभी गांवों में बैंक की शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमे 30.06.2017 तक 31 शाखाएँ खुल चुकी थी ।

आरबीआई के बैंकिंग आउटलेट के संबंध मे नए दिशानिर्देश बैविवि. बीसी.बीएपीडी.सं.69/22.01.001/2016-17 दिनांक 18 मई 2017 के अनुसार " किसी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (डीएससीबी) लघु वित्त बैंक (पीबी) और भुगतान बैंक (एसएफबी) के लिए **बैंकिंग आउटलेट'** एक नियत स्थल पर सेवा सुपुर्दगी इकाई है, जिसे बैंक के स्टाफ अथवा उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है, जहां सप्ताह में **कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे** के लिए जमाराशियां स्वीकार करने, चेकों का नकदीकरण आहरण /अथवा पैसा उधार देने की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं | इसमें बैंक के नाम और उससे प्राप्त प्राधिकार के साथ नियंत्रक प्राधिकारियों और शिकायत निवारण प्रणाली के संपर्क ब्योरे सहित एक सूचक बोर्ड है | बैंकिंग आउटलेट का उचित पर्य-समान पहचानवेक्षण , टेलकॉम कनेक्टिविटी के कारण अस्थायी रुकावट को छोड़ कर निर्बाध सेवा आदि सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण करने हेतु बैंक को बैंकिंग आउटलेट की नियमित आनसाईट तथा दिवसों को प्रमुखता से प्र/आफ साईट निगरानी करनी चाहिए | कारोबार समय दर्शित किया जाना चाहिए |

पिछली SLBC की बैठक तक इस निर्देश के अनुसार निर्धारित 137 मे 128 गाँव मे बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके थे। बाकी बचे 9 गाँवों में शाखा का खोला जाना /BC की नियुक्ति सभी संबंधित बैंकों में DFS, MOF ने 30.09.2017 खुलवाने का निर्देश दिया था | SLBC द्वारा बार-बार आग्रह के बावजूद 6 जगहों पर यह स्थिति अभी भी यथावत है | केवल एक स्थान पर हजारीबाग के मन्दारी खुर्द में केनरा बैंक के द्वारा दिनांक 18.11.2017 को नयी शाखा खोले जाने का आश्वासन दिया गया है | शेष 5 स्थानों पर, CBI-02, Axis Bank-01, United Bank of India-01 एवं Vijaya Bank-01 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है |

**(वर्तमान वस्तुस्थिति पृष्ठ संख्या- 22 (a) में संलग्न है)**

## गरीब कल्याण मेला एवं मुद्रा प्रोत्साहन अभियान

- राज्य सरकार के निर्देश पर दिनांक 16.09.2017 (संथाल परगना के 6 जिलों को छोडकर) एवं 22.09.2017 (संथाल परगना के 6 जिलों में) को गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया जिसके तहत कुल 10000 खातों (SHG/SUI/PMMY) में 250 करोड़ रूपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य बैंको को दिया गया था | सभी बैंको के सामूहिक प्रयास से राज्य में कुल 29301 लाभार्थियों को 254.43 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया |

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर पूरे देश में लगभग 50 स्थानों पर मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का दिनांक 27.09.2017 से 17.10.2017 तक आयोजन किया गया | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड के तत्वाधान में रांची के मोरहाबादी मैदान पर दिनांक 12.10.2017 को मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का आयोजन किया गया जिसमे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री जयंत सिन्हा जी मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित थे | इस कार्यक्रम के दौरान राज्य में कार्यरत 27 बैंको द्वारा स्टाल लगाया गया | इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी बैंको ने सराहनीय भूमिका निभाई |

**{दोनों आयोजनों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ संख्या-23 (a) से 23 (b) तक सलंग्न है }**

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं | **7** |
| बैठक का दिनांक | **10.11.2017** |
| बैठक सं | **61** |

**<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>**

***गैर निष्पादनीय आस्तियां***

राज्य के बैंकों में दी 30 सितम्बर 2017 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

**[राशि करोड़ में]**

| **विवरण** | **30.09.16** | **31.03.17** | **30.09.17** | **Growth over last FY** | **% Growth (over last FY)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Advances** | 77152.36 | 81039.94 | 81599.81 | 559.87 | 0.69% |
| **Gross NPA** | 4532.51 | 4523.09 | 4929.06 | 405.97 | 8.97% |
| **Provision** | | 1797.99 | 2637.66 | 839.67 | 46.70% |
| **Net N.P.A** | | 2725.10 | 2637.66 | (-)87.44 | |
| Percentage of Gross NPA | **5.87 %** | **5.58 %** | **6.04%** | **0.46%** | |
| percentage of Net NPA | | **3.36 %** | **3.23%** | **(-)0.13%** | |

**(रिपोर्ट- annexure-19)**

**झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | रु 4929.06 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 6.04 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है |**

***सर्टिफिकेट केस का स्थिति***

दिनांक 30 सितम्बर 2017 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

**[ राशि करोड़ में ]**

| **Cases pending upto last quarter** | | **Cases Filed during last Qrtr.** | | **Cases dispoed during last Qrtr.** | | **status as on 30.09.2017** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** | **संख्या** | **राशि** |
| **111095** | **386.30** | **2485** | **11.33** | **4766** | **42.99** | **108814** | **354.64** |

**(रिपोर्ट- annexure-20)**

## DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

**[ राशि करोड़ में]**

| Cases pending as of last quarter | | Cases Filed during last Quarter | | Cases Resolved during last Quarter | | Status as of 30.09.17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** |
| 2251 | 860.24 | 109 | 36.20 | 384 | 56.62 | 1976 | 839.82 |

**(रिपोर्ट- annexure-21)**

## SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

**[ राशि करोड़ में]**

| SARFAESI Act की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी किये गए notices | | symbolic possession taken u/s 13 (4) | | Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारीयों के पास भेजे गए cases | | Actual Physical Possession Taken | | No. of cases pending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या |
| 7056 | 1652.55 | 2932 | 942.55 | 569 | 379.79 | 184 | 313.42 | 385 |

**(रिपोर्ट- annexure-22)**

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं | **8** |
| बैठक का दिनांक | **10.11.2017** |
| बैठक सं | **61** |

## सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

### 8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं । इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है | प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है | SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक **31.10.2017** तक की स्थिति इस प्रकार है-

**( राशि करोड़ में )**

| Forwarded to Banks | | Sanctioned by Banks | | Margin Money Claimed | | Rejected/ Returned for rectification | | Pending | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | MM Involved | NO | MM Involved | NO | MM | NO | MM | NO | MM |
| 6021 | 146.76 | 387 | 0.37 | 255 | 5.75 | 1924 | 44.85 | 3741 | 92.71 |

**(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.10.2017 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है )**

### 8.2 NULM एवं PMAY

शहरी विकास विभाग के पोर्टल से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-26(a) & 26(b) पर एवं PMAY से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-26(c) & 26(d) पर सलंग्न है |

| | |
|---|---|
| कार्यसूची संख्या | **9** |
| बैठक की तारीख | **10.11.2017** |
| बैठक संख्या | **61** |

## RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : ( as of **30.06.2017)** झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

| | | |
|---|---|---|
| बैंक ऑफ इंडिया | - | 11 जिले |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | - | 8 जिले |
| इलाहाबाद बैंक | - | 3 जिले |
| पंजाब नेशनल बैंक | - | 2 जिले |
| कुल | | 24 जिले |

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित**)** 1 जिला

**AFY 17-18 का वार्षिक लक्ष्य : प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 18630**

**उपलब्धि: प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 6578**

{State Director, RSETI से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-27 (a)}

**RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,**

**कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन - 03**

**भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण/finishing work जारी - 07**

**भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 12**

**boundary wall निर्माण पूर्ण/भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं - 02**

**भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी - 01**

(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-27 (b) एवं 27 (c) में संलग्न है )

**RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :**

| AFY 2016-17 के दौरान | | AFY 2017-18 के दौरान | |
|---|---|---|---|
| कुल प्रशिक्षनार्थी | Credit Linked | कुल प्रशिक्षनार्थी | Credit Linked |
| 19605 | 2855 | 6578 | 664 |

**(**विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-27 (a) एवं 27 (b) पर उपलब्ध है )

**नोट :**

**51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षानार्थियों को अनिवार्य रूप से, उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएँगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार, केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतू उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि संतोषजनक नही है | सभी LDMs एवं संबंधित बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इसका निष्पादन यथाशीघ्र करवायें |**

## वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

| **बैंक का नाम** | बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (**जिला स्तर पर)** | **संख्या** |
|---|---|---|
| बीओआई | रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा | **15** |
| एसबीआई | देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू | **7** |
| इलाहाबाद बैंक | दुमका व गोड्डा | **2** |

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

**झारखण्ड ग्रामीण बैंक** - 15 केन्द्र ; **वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है |

**<u>जुलाई-सितम्बर, 2017 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर</u>**

| **तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या** | |
|---|---|
| वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा | **1010** |
| ग्रामीण शाखाओं द्वारा | **1667** |
| कुल | **2677** |

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-28 (c) एवं 28 (d) पर उपलब्ध है}

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं | **10** |
| बैठक की तारीख | **10.11.2017** |
| बैठक संख्या | **61** |

## एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

**पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:**

### एस.एल.बी.सी की उप समितियां

| Sr. No | उप समिति के नाम | उप समिति के पदधारी | उप समिति के अन्य सदस्य | संदर्भ | पिछली बैठक की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि तथा संबद्ध उप समिति | प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ<br>संयोजक – नाबार्ड | 1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त<br>2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग।<br>3) सचिव, वन विभाग।<br>4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर<br>5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)<br>6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के | 1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित)<br>2)नई परियोजना/ स्कीम (कृषि)<br>3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास | **06.01.2017** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | | |
| 2. | निर्यात संवर्धन | एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी | 1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन<br>2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम<br>3) स्थानीय निर्यात संस्था<br>4)उद्योग विभाग<br>5) एक्जिम बैंक<br>6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी | 1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा<br>2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव<br>3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन | **10.08.2017** |
| 3. | सुरक्षा | प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ<br>संयोजक- एसबीआई | 1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन<br>2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ<br>3) **आरबीआई** (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) | 1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा<br>2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा<br>3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट | **08.02.2017** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5) एसबीआई ( आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि<br>6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )<br>8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) | 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती | |
| 4. | सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति | एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी | 1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ.<br>2) भारतीय रिजर्व बैंक<br>3) नाबार्ड<br>4) भारतीय स्टेट बैंक<br>5 ) बैंक ऑफ इंडिया<br>6) पंजाब नेशनल बैंक<br>7) झारखंड ग्रामीण बैंक<br>8) केनरा बैंक<br>9 )यूनियन बैंक | 1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात<br>2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति<br>3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास | **10.08.2017** |
| 5. | एसएलबीसी परिचालन समिति | एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी | 1) संस्थागत वित्त विभाग<br>2) भारतीय रिजर्व बैंक<br>3) नाबार्ड<br>4) निदेशक, उद्योग<br>5) आईसीआईसीआई बैंक | 1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें | **10.08.2017** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6) केनरा बैंक<br>7) पंजाब नेशनल बैंक<br>8) बैंक ऑफ इंडिया<br>9) भारतीय स्टेट बैंक | 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार) | |
| 6. | विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति | सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी | 1) सचिव, ग्रामीण विकास<br>2) सचिव, सहकारी<br>3) सचिव, राजस्व<br>4) सचिव, कृषि<br>5) सचिव, योजना<br>6) भारतीय स्टेट बैंक<br>7) बैंक ऑफ इंडिया<br>8) इलाहाबाद बैंक<br>9) भारतीय रिजर्व बैंक | विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा | **02.02.2015** |
| 7. | एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं | सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई | 1) सचिव, ग्रामीण विकास<br>2) सचिव, संस्थागत वित्त<br>3) सचिव, उद्योग<br>4) भारतीय स्टेट बैंक<br>5) बैंक ऑफ इंडिया<br>6) इलाहाबाद बैंक | सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे, | 27.09.2017 को **RBI Empowered Committee on MSME** की 35वीं बैठक बुलायी गई थी । |
| 8 | आवास वित्त पर उप-समिति | सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई | 1) सचिव, शहरी विकास<br>2) सचिव, वित्त<br>3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि<br>4) भारतीय स्टेट बैंक<br>5) बैंक ऑफ इंडिया<br>6) इलाहाबाद बैंक<br>7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष | आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) | **09.11.2016 प्रस्तावित तिथि- 07.11.2017** |
| 9 | SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण | सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य | 1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास<br>2) सचिव, वित्त<br>3) भारतीय रिजर्व बैंक | आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड | **03.11.2017** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | आजीविका मिशन पर उप-समिति | आजीविका संवर्धन सोसायटी | 4) एसएलबीसी<br>5) भारतीय स्टेट बैंक<br>6) बैंक ऑफ इंडिया<br>7) केनरा बैंक<br>8) पी.एन.बी.<br>9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक<br>10) नाबार्ड | | |
| 10 | RSETIs पर उप-समिति | सचिव (ग्रामीण विकास)<br>संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी | 1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास<br>2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ<br>3) भारतीय रिजर्व बैंक<br>4) एसएलबीसी<br>5) नाबार्ड<br>6) भारतीय स्टेट बैंक<br>7) केनरा बैंक<br>8) पी.एन.बी.<br>9) राज्य निदेशक, RSETI | RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे | **03.11.2017** |

| | |
|---|---|
| कार्यसूची सं. | **11** |
| बैठक की तिथि | **10.11.2017** |
| बैठक सं. | **61** |

# विविध कार्यसूची

**1**. राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 15.11.2017 को पूरे राज्य में सभी बैंको द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित 4 योजनाओं SHG, PMEGP, PMMY एवं SUI के अंतर्गत कुल 1000 करोड़ रूपए का ऋण संवितरित किये जाने का लक्ष्य है | राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड द्वारा सभी बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को क्रमशः बैंकवार एवं जिलावार लक्ष्य उपलब्ध करवा दिया गया है |

| | |
|---|---|
| **कार्यसूची सं.** | **12** |
| **बैठक का दिनांक** | **10.11.2017** |
| **बैठक सं** | **61** |

## Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे है | इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 30.09.2017 तक राज्य में कुल 23067 POS machines के लिए किये गए आवेदनों के विरुद्ध 22482 POS machines का installation कराया जा चूका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था | यद्पि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतू इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है | इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 3.42 लाख credit card, 1.34 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 18 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है |

  {प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ सं-35 (a)}

| | |
|---|---|
| **कार्यसूची सं.** | **13** |
| **बैठक की तिथि** | **10.11.2017** |
| **बैठक सं** | **61** |

**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...**